


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 108]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 16, 2014/पौष 26, 1935

No. 108]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 16, 2014/PAUSHA 26, 1935

**पोत परिवहन मंत्रालय
(नौवहन महानिदेशालय)**

अधिसूचना

मुंबई, 7 जनवरी, 2014

(वाणिज्य पोत परिवहन)

का.आ. 112 (अ).— तत्कालीन परिवहन एवं संचार मंत्रालय (परिवहन विभाग) के सांविधिक आदेश सं. का.आ. 3144 दि. 17 दिसंबर, 1960 में भारत सरकार के आदेश के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 391 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषयांतर्गत पहले वाली सभी अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में नौवहन महानिदेशक एतद्वारा निदेश देते हैं कि ध्वंसावशेष के प्रापक के रूप में इस अधिनियम के अंतर्गत उन्हें प्रत्यायोजित शक्ति या प्राधिकार तथा उनके लिये विहित कर्तव्य का प्रयोग एवं निर्वहन नीचे दी गई अनुसूची के पहले स्तम्भ में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों एवं अधिकारियों द्वारा भी किया जाएगा जो कि स्थानीय सीमाओं के भीतर होगा जिसे इसके दूसरे स्तम्भ में उसके सामने प्रविष्टियाँ कर विनिर्दिष्ट किया गया है।

केंद्रीय/राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी और प्राधिकारी	स्थानीय सीमाएँ
<p>1. गुजरात राज्य</p> <p>1.1 कांडला पत्तन (बड़ा पत्तन) के उप संरक्षक</p> <p>1.2 राज्य समुद्रीय बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी</p>	<p>कांडला पत्तन की सीमाओं के भीतर</p> <p>राज्य समुद्रीय बोर्ड के अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर</p>
<p>2. महाराष्ट्र राज्य</p> <p>2.1 मुंबई पत्तन (बड़ा पत्तन) के उप संरक्षक</p> <p>2.2 जवाहरलाल नेहरू पत्तन (बड़ा पत्तन) के उप संरक्षक</p> <p>2.3 राज्य समुद्रीय बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी</p>	<p>मुंबई पत्तन की सीमाओं के भीतर</p> <p>जवाहरलाल नेहरू पत्तन की सीमाओं के भीतर</p> <p>राज्य समुद्रीय बोर्ड के अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर</p>
<p>3. तमिलनाडु राज्य</p> <p>3.1 तूतीकोरीन पत्तन (बड़ा पत्तन) के उप संरक्षक</p> <p>3.2 चेन्नई (बड़ा पत्तन) के उप संरक्षक</p> <p>3.3 महाप्रबंधक (समुद्री सेवाएं), एन्नोर पोर्ट लिमिटेड</p> <p>3.4 राज्य समुद्रीय बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी</p>	<p>नया तूतीकोरीन पत्तन की सीमाओं के भीतर</p> <p>चेन्नई पत्तन की सीमाओं के भीतर</p> <p>एन्नोर पोर्ट लिमिटेड की सीमाओं के भीतर</p> <p>राज्य समुद्रीय बोर्ड के अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर</p>
<p>4. गोवा राज्य</p> <p>4.1 मुरगांव पत्तन (बड़ा पत्तन) के उप संरक्षक</p> <p>4.2 (ए) पत्तन अधिकारी (बी) मुरगांव (बड़ा पत्तन) को छोड़कर राज्य के सभी समुद्रीय जिलों के ज़िला मजिस्ट्रेट</p>	<p>मुरगांव पत्तन की सीमाओं के भीतर</p> <p>(ए) उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर</p> <p>(बी) उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर</p>

<p>5. कर्नाटक राज्य</p> <p>5.1 नया मंगलौर पत्तन (बड़ा पत्तन) के उप संरक्षक</p> <p>5.2 (ए) पत्तन अधिकारी</p> <p>(बी) बड़े पत्तन को छोड़कर राज्य के सभी समुद्रीय जिलों के जिला मजिस्ट्रेट</p>	<p>नया मंगलौर पत्तन की सीमाओं के भीतर</p> <p>(ए) उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर</p> <p>(बी) उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर</p>
<p>6. केरल राज्य</p> <p>6.1 कोच्ची पत्तन (बड़ा पत्तन) के उप संरक्षक</p> <p>6.2 (ए) पत्तन अधिकारी</p> <p>(बी) बड़े पत्तन को छोड़कर सभी समुद्रीय जिलों के जिला मजिस्ट्रेट</p>	<p>कोच्ची पत्तन की अधिसूचित सीमाओं के भीतर</p> <p>(ए) उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर</p> <p>(बी) उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर</p>
<p>7. आन्ध्र प्रदेश राज्य</p> <p>7.1 विशाखापट्टनम पत्तन (बड़ा पत्तन) के उप संरक्षक</p> <p>7.2 (ए) पत्तन अधिकारी</p> <p>(बी) बड़े पत्तन को छोड़कर राज्य के सभी समुद्रीय जिलों के जिला मजिस्ट्रेट</p>	<p>विशाखापट्टनम पत्तन की सीमाओं के भीतर</p> <p>(ए) उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर</p> <p>(बी) उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर</p>
<p>8. उड़ीसा राज्य</p> <p>8.1 पारादीप पत्तन (बड़ा पत्तन) के उप संरक्षक</p> <p>8.2 (ए) पत्तन अधिकारी</p> <p>(बी) बड़े पत्तन को छोड़कर राज्य के सभी समुद्रीय जिलों के जिला मजिस्ट्रेट</p>	<p>पारादीप पत्तन की सीमाओं के भीतर</p> <p>(ए) उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर</p> <p>(बी) उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर</p>

<p>9. पश्चिम बंगाल राज्य 9.1 कोलकाता पत्तन (बड़ा पत्तन) के उप संरक्षक 9.2 (ए) पत्तन अधिकारी (बी) बड़े पत्तन को छोड़कर राज्य के सभी समुद्रीय जिलों के जिला मजिस्ट्रेट</p>	<p>कोलकाता पत्तन की सीमाओं के भीतर (ए) उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर (बी) उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर</p>
<p>अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी तथा दादरा और नगर हवेली के संघ राज्य क्षेत्र</p>	
<p>10.1. (ए) पत्तन अधिकारी (बी) प्रशासक</p>	<p>(ए) उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर (बी) उनके संबंधित क्षेत्र की सीमाओं के भीतर</p>

[फा. सं. एसएल-एनओटी-डब्ल्यूआरके- आरईसी /7(1)/2011]
गौतम चटर्जी, नौवहन महानिदेशक

MINISTRY OF SHIPPING
(DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING)

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th January, 2014
(Merchant Shipping)

S. O. 112 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 391 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) read with the order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Transport and Communications (Department of Transport) No. S.O. 3144 dated 17th December, 1960, and in supercession of all the previous notifications on the subject, the Director General of Shipping hereby directs that the power or authority delegated to and the duty imposed upon him under the Act as Receiver of Wreck shall also be exercised or discharged by the Officers and authorities specified in the first column of the Schedule below within the local limits specified in the corresponding entries in the second column thereof.

Officers and Authority of Central/State Governments and Union Territory Administrations	Local Limits
<p>1. State of Gujarat 1.1 Deputy Conservator of Kandla Port (Major Port). 1.2 Chief Executive Officer of the State Maritime Board.</p>	<p>Within the limits of Kandla Port. Within the limits of the jurisdiction of the State Maritime Board.</p>
<p>2. State of Maharashtra 2.1 Deputy Conservator of Mumbai Port (Major Port). 2.2 Deputy Conservator of Jawaharlal Nehru Port (Major Port). 2.3 Chief Executive Officer of the State Maritime Board.</p>	<p>Within the limits of the Mumbai Port. Within the limits of the Jawaharlal Nehru Port. Within the limits of the jurisdiction of the State</p>

	Maritime Board.
3. State of Tamil Nadu 3.1 Deputy Conservator of Tuticorin Port (Major Port). 3.2 Deputy Conservator of Chennai (Major Port). 3.3 General Manager (Marine Services), Ennore Port Ltd. 3.4 Chief Executive Officer of the State Maritime Board.	Within the limits of the New Tuticorin Port. Within the limits of the Chennai Port. Within the limits of the Ennore Port Ltd. Within the limits of the jurisdiction of the State Maritime Board.
4. State of Goa 4.1 Deputy Conservator of Mormugao Port (Major Port). 4.2 (a) Port Officers. (b) District Magistrates in all maritime districts in the State except the Mormugao Major Port.	Within the limits of the Mormugao Port. (a) Within the limits of their respective jurisdiction. (b) Within limits of their respective jurisdiction.
5. State of Karnataka 5.1 Deputy Conservator of New Mangalore Port (Major Port). 5.2 (a) Port Officers. (b) District Magistrates in all maritime districts in the State except the Major Port.	Within the limits of the New Mangalore Port. (a) Within the limits of their respective jurisdiction. (b) Within the limits of their respective jurisdiction.
6. State of Kerala 6.1 Deputy Conservator of Kochi Port (Major Port). 6.2 (a) Port Officers. (b) District Magistrates in all maritime districts in the State except the Major Port.	Within the notified limits of the Kochi Port. (a) Within the limits of their respective jurisdiction. (b) Within the limits of their respective jurisdiction.
7. State of Andhra Pradesh 7.1 Deputy Conservator of Vishakhapatnam Port (Major Port). 7.2 (a) Port Officers. (b) District Magistrates in all maritime districts in the State except the Major Port.	Within the limits of the Vishakhapatnam Port. (a) Within the limits of their respective jurisdiction. (b) Within the limits of their jurisdiction.
8. State of Odisha 8.1. The Deputy Conservator of Paradip Port (Major Port). 8.2. (a) Port Officers. (b) District Magistrates in all maritime districts in the State except the Major Port.	Within the limits of the Paradip Port. (a) Within the limits of their respective jurisdiction. (b) Within the limits of their jurisdiction.
9. State of West Bengal 9.1 The Deputy Conservator of Kolkata Port (Major Port). 9.2 (a) Port Officers. (b) District Magistrates in all maritime districts in the State except the Major Port.	Within the limits of the Kolkata Port. (a) Within the limits of their respective jurisdiction. (b) Within the limits of their jurisdiction.
Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Daman and Diu, Lakshadweep, Puducherry and Dadra and Nagar Haveli	
10.1 (a) Port Officers (b) Administrators	(a) Within the limits of their respective jurisdiction. (b) Within the limits of their jurisdiction.

[F. No. SL-NOT-WRK-REC/7(1)/2011]

GAUTAM CHATTERJEE, Director General of Shipping